FORM ...

फर्द अहकाम

(नियम – 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम नीमकाथाना

बलवीर बनाम भूमिधारी

मुकदमा प्रार्थना पत्र 128 रा.भू.रा.अधिनियम मुकदमा नम्बर 247 सन् 2022 जीसीएमएस नं.

हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
रिपोर्ट सरिस्ता होकर प्रार्थना पत्र धारा 128 रा.भू.रा.अधिनियम पेश हुआ। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 08.06.2022 को पेश हो। (बृजेश कुमार) उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना (सीकर)	
8/6/22 पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उप. I.P.O. सा. ~~दौरे~~ पर है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक ~~अवकाश~~ 28/6/22 को पेश हो।	
28/6/22 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप०। अप्रार्थी की तामील सम्यक रूप से हो चुकी है। बावजूद सम्यक तामील के अनुपस्थित। अतः अप्रार्थी के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाती है। बहस वकील प्रार्थी सुनी गयी। वास्ते निर्णय पत्रावली दिनांक 30/6/2022 को पेश हो।	
30/6/22 वकील प्रार्थी उप०। दीगर कार्यों में व्यस्त रहने से निर्णय नहीं लिखवाया जा सका। वास्ते निर्णय पत्रावली दिनांक 13/7/22 को पेश हो।	

Scanned with OKEN Scanner

13/7/2022 पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश पेश हुयी। वकील प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली में बहस एकपक्षीय पूर्व में सुनी जा चुकी है। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरान करते हुए कथन किया था कि मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगढी के आदेश पारित किये जावे। बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध प्रार्थना पत्र, राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। जिससे जाहिर है कि वादग्रस्त भूमि में मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड प्रार्थी की सहखातेदारी की भूमि है। अतः समस्त सहखातेदारान, पडौसी खातेदारान को सूचित कर बाद सम्यक संतुष्टि मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगढी किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी बाबत पत्थरगढी स्वीकार किये जाने योग्य है।

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

आदेश

प्रा0 पत्र0 247/2022

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नीमकाथाना को आदेशित किया जाता है कि राजस्व ग्राम नृसिंहपुरी तहसील नीमकाथाना स्थित भूमि खसरा नंबर 288, 289, 351, 352, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 420 कुल किता 11 कुल रकबा 4.24 हैक्ट. की खातेदारान व पडोसी खातेदारान को सूचित कर बाद सम्यक संतुष्टि सीमाज्ञान, मुताबिक सीमाज्ञान दिनांक 06.04.2022 पत्थरगढी की जावे। दौराने पत्थरगढी किसी प्रकार का कब्जा दिलवाने अथवा बेदखली की कार्यवाही नहीं की जावें। तहसीलदार नीमकाथाना को इस हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली बाद फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

Scanned with OKEN Scanner